पत्र संख्या-11/2024/I/696111/2024 फाईल नं0-86-01010(099)/2/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ : दिनांकः 19.07.2024

विषयः-जन-सामान्य द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु साधारण मिट्टी का खनन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

शासन के संज्ञान में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जन-सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी खुदाई कर ले जाने पर पुलिस व प्रशासन के द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् हैः-

1- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-45/2020/1542/86- 2020-153(सा0)/2017, दिनांक 18.09.2020 के द्वारा 100 घनमीटर तक खनन/ परिवहन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को upminemitra.in पर अपनी आवश्यक सूचना भरते हुए रजिस्टर करना है और उपरोक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ वह स्वयं की भूमि पर मिट्टी खनन व परिवहन कर सकता है। 100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिए अनुज्ञा/परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसमें उन्हें upminemitra.in पर ऑनलाईन आवेदन करना है और यह सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जाता है। सामान्यातः 01 ट्रैक्टार ट्राली से 03:00 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100.00 घनमीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए 33 ट्रैक्टिर ट्रालियों का प्रयोग किया जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 (यथासंशोधित) के नियम-3 के अन्तर्गत 02 मीटर की गहराई तक सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं माना गया है।

3- इस कार्य पर एक और विभाग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पर्यवेक्षण रहता है। इस विभाग के शासनादेश सं0-446/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1, दिनांक 01.05.2020 के द्वारा निम्न कार्यों को पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की गयी है :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिटटी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।

2. मैनुअल खनन द्वारा मिटटी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना ।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिटटी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिमार्ण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिटटी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू- पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

9. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

10. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

11. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिटटी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।

12. "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

4- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रदेश में मिट्टी के उपयोग से रॉयल्टी समाप्त की जा चुकी है। उपरोक्त तीनों शासनादेशों की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जन-सामान्य/कृषक के द्वारा शासनादेश दिनांक 18-09-2020 के अनुसार आनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लायी जा सकती है। कृपया तहसील व थाने के कर्मियों से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ।
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 45/2020/1542/86-2020-153(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर 2020

विषयः साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना सं0-जी0एस0आर0 95(ई), दिनांक 03.02.2000 द्वारा बांधों, सड़कों, रेलमार्गों, भवनों आदि के निर्माण के लिए भराई या समतल करने के उद्देश्य से प्रयुक्त "सामान्य मिट्टी" को उपखनिज घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-3 के अन्तर्गत 02 मीटर की गहराई तक सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं माना गया है।

2. मिट्टी की उपलब्धता के सम्बन्ध में जन सामान्य की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना सं0-641/86-2018-153(सामान्य)/2017, दिनांक 27.03.2018) द्वारा साधारण मिट्टी/ साधारण मृदा की रायल्टी शून्य कर दी गयी है। इस प्रकार साधारण मिट्टी की रायल्टी शून्य होने के उपरान्त खनन की अनुमति दिये जाने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं होने के कारण जन-सामान्य के उत्पीड़न और मिट्टी के अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। अतः खनिज विकास हित मे साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु खनन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था/प्रक्रिया को वर्तमान में संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साधारण मिट्टी के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त संगत आदेशों/निर्देशों को अवक्रमित करते हुए साधारण मिट्टी का 100 घन मी0 तक खनन/परिवहन मात्र आनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मी0 से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित् प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) साधारण मिट्टी 100 घन मी0 तक के खनन/परिवहन हेतु पोर्टल पर आनलाईन पंजीकरण की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर अधिकतम 100 घन मी0 साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुमति के ब्लाक पर Apply कर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) पंजीकरण हेतु नाम, पता, मोबाईल नं0, ईमेल आई0डी0 भरकर अपना लाग-इन बनाया जायेगा।

(3) लाग-इन करने के उपरान्त प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का नाम, पता, मो0 नं0, ई-मेल आई0डी0, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा-जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा सं0, कुल क्षेत्रफल, परिवहन किये जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) बिन्दु सं0-03 में उल्लिखित जानकारियों को भरकर आवेदक द्वारा आवेदन Submit किया जाना होगा, जिसके पश्चात आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जायेगा, इसके लिए पृथक से ई0-एम0एम0-11 की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो माह अथवा मात्रा की निकासी पूर्ण होने, जो भी पहले घटित हो, के लिए मान्य होगा।

(6) पंजीकरण प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम व पता, खनन स्थल, वैधता अवधि अंकित होगी।

(7) आवेदक द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति, संवेदनशील क्षेत्रों से मानक के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा दूरी को छोड़कर खनन कार्य किये जाने सम्बन्धी स्व-घोषणा अपलोड की जायेगी।

(8) भूमि के स्वामित्व, भूमिधर की सहमति, सुरक्षा मानकों से सम्बन्धित स्व-घोषणा आदि गलत पाए जाने पर पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है, जिसकी सूचना आवेदक को ई-मेल/मोबाईल नं0 पर मैसेज के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

(ख) साधारण मिट्टी 100 घन मी0 से अधिक के खनन/परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के सम्बन्धमें पोर्टल पर आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-

(1) खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र-एम0एम0-8 में विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम, पता, मो0 नं0, ई-मेल आई0डी0, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा-जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा सं0, कुल क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख सहित आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा आनलाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिलाधिकारी आवेदन पत्र की जांच के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत आवेदन पत्र के क्रम में खनन अनुज्ञा पत्र आनलाईन निर्गत किया जायेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 07 दिन के अन्दर उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। नियत अवधि में अनुज्ञा पत्र निर्गत न होने की दशा में स्वतः निर्गत समझा जायेगा।

(3) अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरान्त साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम0 11 जनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा आनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(4) खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि अधिकतम 06 माह होगी, जो स्वीकृत मात्रा एवं परिवहन के संसाधनों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5) अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित साधारण मिट्टी की मात्रा के निकासी पूर्ण होने अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने, जो भी पहले घटित हो, के दिनांक से अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(6) मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संक्रिया प्रतिबन्धित किये जाने अथवा किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षात्मक दूरी निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा।

(7) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्ते लगायी जा सकती है।

4. पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किये जाने अथवा छूट के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त सन्दर्भित अधिसूचना दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी शून्य कर दी गयी है।

6. उक्तानुसार यथास्थिति आनलाईन पंजीकरण या खनन अनुज्ञा पत्र के बिना साधारण मिट्टी का खनन, अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा और इस सम्बन्ध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21(1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

डा0 रोशन जैकब

सचिव,

संख्या: 1542(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-833/एम0- 228/2017 (खनन नीति)(V) दिनांक 01.09.2020 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

संख्या- 448/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

(1933)

ADM/MO

01/5/2020

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय-पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपठित अधिसूचना सं0-1224 (अ) दिनांक 28-03-2020 के परिशिष्ट-9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिटटी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिटटी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिटटी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिटी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा जल के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिटटी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिटटी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0-जीयू/90(16)/एमसीआर-2189(68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर घूने के गोलों (मृत भू- पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य शासन प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकास, आदि से होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।

13. "ऐसे कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियम या नियमों के अधीन गैर खननकारी कियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-3204/86-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वां संशोधन 2014) में दिये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:-

"ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आई0ए0 अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित कियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वाँ संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-445(1)/81-7-2020-32(एसी)/2014 टीएसी-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु० सचिव।

क्रम-संख्या–78 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 27 मार्च, 2018

चैत्र 6, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

संख्या 641/86-2018-153(सा0)-2017
लखनऊ, 27 मार्च, 2018

अधिसूचना

सा0प0नि0–31

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

2–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रथम अनुसूची

(नियम–21 देखिये)

क्र0 सं0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	2	3
1	चूना पत्थर	रू0 150.00 प्रति टन या रू0 275.00 प्रति घनमीटर

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची

(नियम–21 देखिये)

क्र0 सं0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	2	3
1	चूना पत्थर	रू0 150.00 प्रति टन या रू0 275.00 प्रति घनमीटर

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रथम अनुसूची (नियम–21 देखिये)			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची (नियम–21 देखिये)		
क्र0 सं0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर	क्र0 सं0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	2	3	1	2	3
2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 206.00 प्रतिटन या रू0 405.00 प्रति घनमीटर	2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 206.00 प्रतिटन या रू0 405.00 प्रति घनमीटर
3	ईट बनाने की मिट्टी	रू0 54 प्रति हजार बनी ईट	3	ईट बनाने की मिट्टी	रू0 54 प्रति हजार बनी ईट
4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेन्शल स्टोन)	
(क)	एक मीटर या ऊपर के साइज के	रू0 5000.00 प्रति घनमीटर	(क)	एक मीटर या ऊपर के साइज के	रू0 5000.00 प्रति घनमीटर
(ख)	एक मीटर या नीचे के साइज के	रू0 3000.00 प्रति घनमीटर	(ख)	एक मीटर या नीचे के साइज के	रू0 3000.00 प्रति घनमीटर
(ii)	स्लैब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमेन्शल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 650.00 प्रति घन मीटर	(ii)	स्लैब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमेन्शल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 650.00 प्रति घन मीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रू0 600.00 प्रति घन मीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन,क्वार्टजाइट)	रू0 600.00 प्रति घन मीटर
(iv)	खण्डास और बोल्डर		(iv)	खण्डास और बोल्डर	
(क)	ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 125.00 प्रति घनमीटर	(क)	ग्रेनाइट व डोलो स्टोन(25X25X25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 125.00 प्रति घनमीटर
(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25x25 x25) सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 100.00 प्रति घनमीटर	(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट (25 x25 x25)सेमी0 तक साइज्ड का	रू0 100.00 प्रति घनमीटर
(v)	बैलास्ट (गिट्टी)		(v)	बैलास्ट (गिट्टी)	
(क)	ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रू0 160.00 प्रति घनमीटर	(क)	ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रू0 160.00 प्रति घनमीटर
(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रू0 110.00 प्रति घनमीटर	(ख)	सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	रू0 110.00 प्रति घनमीटर
(ग)	स्टोन डस्ट	रू0 100.00 प्रति घनमीटर	(ग)	स्टोन डस्ट	रू0 100.00 प्रति घनमीटर

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रथम अनुसूची

(नियम–21 देखिये)

क्र0 सं0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	2	3
5.	मौरम	
(क)	नदी तल में उपलब्ध	रू0 150.00 प्रति घन मीटर
(ख)	पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रू0 75.00 प्रतिघन मीटर
6.	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
(क)	प्रथम श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 65.00 प्रति घनमीटर
(ख)	द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 55.00 प्रति मीटर घन
7.	बजरी (सिंगिल)	रू0 110.00 प्रति मीटर घन
8.	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रू0 30.00 प्रति मीटर घन
9.	पायरोफिलाइट	रू0 300.00 प्रति टन
10.	डायस्पोर	रू0 500.00 प्रति टन
11.	सिलिका सैण्ड	रू0 100.00 प्रति टन
12	चाइना क्ले	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइड	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्वार्टज	रू0 100.00 प्रति टन
15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची

(नियम–21 देखिये)

क्र0 सं0	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	2	3
5.	मौरम	
(क)	नदी तल में उपलब्ध	रू0 150.00 प्रति घन मीटर
(ख)	पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रू0 75.00 प्रतिघन मीटर
6.	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
(क)	प्रथम श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 65.00 प्रति घनमीटर
(ख)	द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची–दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रू0 55.00 प्रति मीटर घन
7.	बजरी (सिंगिल)	रू0 110.00 प्रति मीटर घन
8.	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रू0 00.00 प्रति मीटर घन
9.	पायरोफिलाइट	रू0 300.00 प्रति टन
10.	डायस्पोर	रू0 500.00 प्रति टन
11.	सिलिका सैण्ड	रू0 100.00 प्रति टन
12	चाइना क्ले	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइड	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्वार्टज	रू0 100.00 प्रति टन
15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत

आज्ञा से,

राज प्रताप सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 641/LXXXVI-2018-153(Sa.)/2017, Dated March 27, 2018 :

No. 641/LXXXVI-2018-153(Sa.)/2017

Dated Lucknow, March 27, 2018

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963:

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)

(FORTY-FIFTH AMENDMENT) RULES, 2018

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals(Concession) (Forty-fifth Amendment) Rules, 2018

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Amendment of the First schedule

2. In the said rules, for the First Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be *substituted,* namely:-

COLUMN-I

Existing

First Schedule

(*See* rule 21)

Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3
1.	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic metre
2-	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic metre
3-	Brick earth	Rs. 54.00 per thousand bricks produced
4-	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 metre or above size	Rs. 5000.00 per cubic metre
	(b) below 1 metre size	Rs. 3000.00 per cubic metre
(ii)	Sized dimentional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic metre
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic metre
(iv)	Khandas and Boulders	

COLUMN-II

Schedule as hereby substituted

First Schedule

(*See* rule 21)

Sl. No.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3
1.	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic metre
2-	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic metre
3-	Brick earth	Rs. 54.00 per thousand bricks produced
4-	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 metre or above size	Rs. 5000.00 per cubic metre
	(b) below 1 metre size	Rs. 3000.00 per cubic metre
(ii)	Sized dimentional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic metre
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic metre
(iv)	Khandas and Boulders	

COLUMN-I *Existing* **First Schedule** **(*See* rule 21)**			COLUMN-II *Schedule as hereby substituted* **First Schedule** **(*See* rule 21)**		
Sl. No.	**Minerals**	**Rate of Royalty**	**Sl. No.**	**Minerals**	**Rate of Royalty**
1	2	3	1	2	3
	(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm.× 25cm.× 25cm.	Rs. 125.00 per cubic metre		(a) Granite and Dolostone sized up to 25cm.×25cm.×25cm	Rs. 125.00 per cubic metre
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to 25cm.×25cm.×25cm.	Rs. 100.00 per cubic metre		(b) Sand stone and Quartzite sized up to 25cm.×25cm.×25cm	Rs. 100.00 per cubic metre
(v)	Ballast (Gitti)		(v)	Ballast (Gitti)	
	(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic metre		(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic metre
	(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic metre		(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic metre
	(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic metre		(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic metre
5.	Morrum		5.	Morrum	
	(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic metre		(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic metre
	(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic metre		(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic metre
6-	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)		6-	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)	
(a)	First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 65.00 per cubic metre	(a)	First Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 65.00 per cubic metre
(b)	Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 55.00 per cubic metre	(b)	Second Category (Found in districts mentioned in schedule second)	Rs. 55.00 per cubic metre
7-	Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic metre	7-	Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic metre
8-	Ordinary Clay or Ordinary earth	Rs. 30.00 per cubic metre	8-	Ordinary Clay or Ordinary earth	Rs. 00.00
9-	Pyrophylite	Rs. 300.00 per tonn	9-	Pyrophylite	Rs. 300.00 per tonn
10-	Diaspore	Rs. 500.00 per tonn	10-	Diaspore	Rs. 500.00 per tonn
11-	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonn	11-	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonn
12-	China Clay	12% of pit's mouth value	12-	China Clay	12% of pit's mouth value
13-	Calcite	12% of pit's mouth value	13-	Calcite	12% of pit's mouth value
14-	**Quartz**	**Rs. 100 per tonn**	**14-**	**Quartz**	**Rs. 100 per tonn**
	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of pit's mouth value		Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of pit's mouth value

By order,
RAJ PRATAP SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1012 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(3080)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 14 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म–2018–(3081)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।